दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-२ ला | अंक-१४ वा | शुक्रवार ५ सितम्बर २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

मराठों को कुणबी प्रमाणपत्र केवल सबूतों के आधार पर ही मिलेगा : मुख्यमंत्री फडणवीस

भुजबळ नाराज़ नहीं होने का दावा

जमीर काज़ी । मुंबई

मराठा समाज को कुणबी घोषित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हैदराबाद गज़ेट लागू करने के फैसले से मराठा और ओबीसी समाज के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी। इस पर अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सफाई दी है। उन्होंने गुरुवार को स्पष्ट किया कि मराठा समाज के लिए कोई भी सार्वत्रिक (सरसकट) आरक्षण घोषित नहीं किया गया है, बल्कि यह केवल सबूतों के आधार पर ही मिलेगा। इसलिए सभी को यह लाभ नहीं मिल पाएगा।

फडणवीस ने कहा कि हैदराबाद गज़ेट के लागू होने से ओबीसी समाज का कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने इस बाबत वरिष्ठ मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबळ को आश्वस्त करने का दावा भी किया।

मंगलवार को हैदराबाद गज़ेट लागू होने के बाद मराठा आंदोलन शांत हुआ, लेकिन ओबीसी समाज में इस फैसले के खिलाफ पूरे राज्य में नाराज़गी जताई जा रही है।

भुजबळ ने भी अपनी नाराज़गी खुलकर प्रकट की थी। इसी पृष्ठभूमि में नवी मुंबई के उरण में एक कार्यक्रम के दौरान जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भुजबळ नाराज़ नहीं हैं। उन्हें आश्वस्त किया गया है कि यह जीआर सार्वत्रिक नहीं है, बल्कि सबूतों पर आधारित है।

फडणवीस ने आगे कहा, मराठवाड़ा में अंग्रेजों का शासन नहीं था, वहाँ निज़ाम का शासन था। इसलिए अंग्रेज़ी काल के सबूत उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में निज़ाम के समय के सबूत, जो हैदराबाद गज़ेटियर में दर्ज हैं, वही मान्य किए गए हैं। इससे केवल वही लोग आरक्षण के पात्र होंगे, जो वास्तव में कुणबी साबित होते हैं। इस प्रक्रिया में किसी तरह की धोखाधड़ी संभव नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि कई ओबीसी संगठनों ने इस जीआर का स्वागत किया है। यह स्पष्टीकरण ओबीसी समाज के बीच फैले भ्रम को दूर करने के लिए आवश्यक है। कुछ लोग जानबूझकर गलतफहमियाँ फैला रहे हैं, लेकिन हमारी राजनीति सब समाज को साथ लेकर आगे बढ़ना है इस सिद्धांत पर आधारित है।

फडणवीस ने यह भी कहा, छगन भुजबळ की शंकाएँ दूर कर दी गई हैं और अन्य लोगों की शंकाएँ भी दूर की जाएंगी। ओबीसी समाज को भी पता है कि जब तक यह सरकार है, तब तक उनके साथ अन्याय नहीं होगा। किसी एक समाज का हक छीनकर दूसरे को नहीं दिया जाएगा। मराठों का हक मराठों को और ओबीसी का हक ओबीसी को मिलेगा। किसी के अधिकार छीने नहीं जाएंगे।

आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति की क्षति पर हलफनामा पेश करें : उच्च न्यायालय के आयोजकों को निर्देश

जमीर काज़ी
मुंबई :

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे-पाटील द्वारा मुंबई में किए गए आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ है। इस पर मुंबई उच्च न्यायालय ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए निर्देश दिया कि आंदोलन के आयोजकों से चार हफ्तों के भीतर इस संबंध में हलफनामा लिया जाए।

मुंबई में यह आंदोलन पाँच दिनों के बाद मंगलवार को वापस ले लिया गया। लेकिन इसके खिलाफ दायर जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति आरती साठे की खंडपीठ में सुनवाई जारी है। इस बीच आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान को लेकर मुंबई पुलिस ने कुल ९ मामले दर्ज किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई में आयोजकों की ओर से पक्ष रखते हुए सतीश माने-शिंदे ने कहा कि सरकार ने मांगें मान ली हैं, इसलिए आंदोलन वापस ले लिया गया है और सभी लोग लौट गए हैं। महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ ने भी इसकी पुष्टि की। लेकिन खंडपीठ ने जरांगे और आंदोलन आयोजकों को फटकार लगाई और पूछा कि नुकसान की भरपाई कौन करेगा? साथ ही चार हफ्तों में हलफनामा पेश करने का आदेश दिया।

पाटील ने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज़ाद मैदान में आंदोलन के बाद बड़े पैमाने पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ। इस मुद्दे पर न्यायालय ने गंभीर चिंता जताई। आंदोलन के दौरान हुई तोड़फोड़ और फैले कचरे के ढेरों से शहर को भारी नुकसान हुआ। इस मामले में सार्वजनिक संपत्ति की क्षति की भरपाई वसूलने के लिए विशेष कानून लागू करने की मांग याचिका में की गई है। इसके अनुसार, न्यायालय ने जरांगे पाटील और आंदोलन आयोजकों को आदेश दिया है कि वे इस पूरी क्षति के बारे में अपना पक्ष स्पष्ट करें और आगामी चार हफ्तों में विस्तृत हलफनामा दाखिल करें।

उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई : मुख्यमंत्री

मुंबई में हुए मराठा आंदोलन के दौरान राज्य सरकार ने मराठा आंदोलकों पर दर्ज मुकदमे और वाहनों के चालान भी वापस लेने का निर्णय लिया था। इसके बाद भी मुंबई पुलिस ने नौ मामले दर्ज किए हैं। इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार हो रही है, इसलिए सरकार को उनके निर्देशों का पालन करना पड़ेगा।

ईद-ए-मिलादुन्नबी (स.) पैगंबर जयंती की मिरवणूक ८ सितंबर को बड़े उत्साह से आयोजित होगी!

जहीर कादरी
बीड प्रतिनिधि

हर साल की तरह इस वर्ष भी ईद-ए-मिलादुन्नबी (स.) पैगंबर जयंती के अवसर पर जुलूस (मिरवणूक) निकाली जाएगी। इस बार पैगंबर जयंती ५ सितंबर २०२५ को है। लेकिन अगले दिन यानी ६ सितंबर को अनंत चतुर्दशी (गणपति विसर्जन) होने के कारण प्रशासन के अनुरोध पर मिरवणूक की तारीख बदल दी गई है।

इस वर्ष यह मिरवणूक ८ सितंबर २०२५, सोमवार को दोपहर १:०० बजे आयोजित की जाएगी। इस संबंध में जिलाधिकारी साहब को विद्यालय की छुट्टी ५ सितंबर के बजाय ८ सितंबर को देने का निवेदन के.जी.एन. ग्रुप के जहीर कादरी ने प्रस्तुत किया है।

मिरवणूक का मार्ग

दर्गा शहेंशावली (रह.) से शुरुआत होकर - कंकालेश्वर मंदिर रोड, चांदनी चौक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, माळीवेस, धोंडीपूरा, बलभीम चौक, कारंजा, जुनी भाजी मंडई, बुंदेलपूरा, राजुरी वेस, बशीरगंज, जुना एस.पी. ऑफिस मार्गे फिर से दर्गा शहेंशावली (रह.) पर समापन होगा।

कार्यक्रम की रूपरेखा

के.जी.एन. मस्जिद

दिनांक ५-९-२०२५, शुक्रवार

नमाज-ए-फजर से पहले चिरागा, सुबह ४:०० बजे

नमाज-ए-जुमा के बाद हज़रत मोहम्मद पैगंबर (स.) के मुह-ए-मुबारक (मुबारक बालों) का दर्शन

नमाज-ए-मगरिब के बाद शाम ७:०० बजे दरूद-ए-पाक की महफ़िल

दर्गा शहेंशावली (रह.)

दिनांक ८-९-२०२५, शुक्रवार

नमाज-ए-जुमा के बाद दरूद-ए-पाक की महफ़िल

सोमवार, सुबह नमाज-ए-फजर से दोपहर १२:०० बजे तक

हज़रत मोहम्मद पैगंबर (स.) के मुह-ए-मुबारक (मुबारक बालों) का दर्शन

खद्म-ए-रसूल (पैगंबर के पवित्र पदचिह्नों वाली दगड़ी पट्टी) का दर्शन

लंगर व्यवस्था

दिनांक ८-९-२०२५ को मिरवणूक में शामिल सभी श्रद्धालुओं के लिए

के.जी.एन. मस्जिद में शाम ७:०० से ८:०० बजे तक लंगर (भोजन) की व्यवस्था की जाएगी।

सिंदफना नदी में किसान बहकर लापता

गेवराई, ४ सितम्बर (प्रतिनिधि):

सिंदफना नदी के पात्र में किसान बह जाने की घटना बुधवार रात घटी। पुलिस और राजस्व प्रशासन की ओर से लापता किसान की तलाश जारी है। हालांकि सफलता न मिलने पर आज छत्रपति संभाजीनगर से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है, ऐसी जानकारी प्रशासन ने दी।

बहकर लापता किसान का नाम संदीपान रामकिसन ढोरमारे (उम्र ५० वर्ष), निवासी पिंपलगांव कानडा, तालुका गेवराई, जिला बीड़ है। जानकारी के अनुसार बुधवार को संदीपान ढोरमारे खेत पर जा रहे थे। इस दौरान सिंदफना नदी उफान पर थी और पानी का बहाव तेज था। किसान ने नदी के पानी की गहराई और प्रवाह का अंदाजा नहीं लगाया, जिससे वे बह गए।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और राजस्व प्रशासन मौके पर पहुंचे और तलाश शुरू की। पूरे दिन तलाश अभियान जारी रहा, लेकिन अंधेरा होने पर उसे रोकना पड़ा। गुरुवार सुबह फिर से खोज शुरू की गई, लेकिन सफलता न मिलने पर अंततः पुलिस और प्रशासन ने छत्रपति संभाजीनगर से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया है।

सामाजिक क्रांति का वाहक गणेशोत्सव-जयदत्त क्षीरसागर

बीड, ४ सितम्बर (प्रतिनिधि):

कोरडे गणपति को नवसाला पावणारा (मनोकामना पूर्ण करने वाला) माना जाता है और नवगण राजुरी, नामलगांव तथा कोरडे गणपति ये श्रद्धालुओं के आस्था-स्थल हैं। समाज में जागृति लाने वाला गणेशोत्सव लोकमान्य टिळक ने शुरू किया था, ऐसा प्रतिपादन पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर ने किया।

गुरुवार, ३ सितम्बर को गणेशोत्सव के अवसर पर शहर के वीरशैव गणेश मंडल, श्री संस्थान कोरडे गणपति, नवरंग गणेश मंडल, राष्ट्रीय गणेश मंडल, शिवनेरी गणेश मंडल, रूद्र गणेश मंडल तथा सिद्धिविनायक गणेश मंडल की आरती पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर के हाथों की गई। साथ ही विभिन्न गणेश मंडलों के झांकियों (देखावों) का उद्घाटन भी उनके हाथों हुआ। इस अवसर पर अरुण डाके, गणपत डोईफोडे, अशोक लोढ़ा, सुभाष क्षीरसागर आदि की प्रमुख उपस्थिति रही।

इस अवसर पर बोलते हुए जयदत्त क्षीरसागर ने कहा कि कोरडे गणपति में हमेशा अनोखे उपक्रमों के माध्यम से गणेशोत्सव मनाया जाता है। गणपति मंदिर में की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। यहां श्रीगणेश को छप्पन भोग अर्पित किया गया। गणेशोत्सव बीते ६६ वर्षों से निरंतर मनाया जा रहा है और शहर के विभिन्न गणेश मंडल धार्मिक व ऐतिहासिक झांकियों का आयोजन कर रहे हैं। वीरशैव गणेश मंडल सामाजिक और पुण्य के कार्य कर रहा है।

गणेशोत्सव के निमित्त सामाजिक व उद्योग क्षेत्र के लोगों को सम्मानित करने की परंपरा भी शुरू की गई। इसमें शिवशंकर रामलिंग कोरे और आई सामाजिक प्रतिष्ठान का समावेश किया गया। भारत भंडारे को युवा उद्योग पुरस्कार तथा अमित शिराळे को मंडल की ओर से युवा उद्योजक पुरस्कार प्रदान किया गया।

काले गली में प्रा. जगदीश काले के ७३वें जन्मदिवस पर उन्हें शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर महिला और पुरुष बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

क्या कानूनी तौर पर जन्म प्रमाणपत्र लेना अपराध है?

गेवराई में पुलिस का मनमाना रवैया, नागरिकों का हो रहा उत्पीड़न - स्थानीय नेता कब दिलाएँगे राहत?

काज़ी अमान / गेवराई

गेवराई तहसीलदार संदीप खोमणे ने बिना कोई जाँच समिति बनाए और कानूनी प्रक्रिया को नज़रअंदाज़ करते हुए आम नागरिकों पर अपराध दर्ज करा दिए हैं। इससे साधारण नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है और तहसीलदार व पुलिस की इस दमनकारी कार्यशैली से लोग त्रस्त हो गए हैं।

कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जन्म प्रमाणपत्र हासिल करने वाले ११३४ नागरिकों को अपराधी ठहराकर उनके साथ दुर्व्यवहार करना प्रशासन का निंदनीय कार्य है। यह केवल प्रशासनिक मनमानी ही नहीं बल्कि आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला है। इस पूरे मामले पर गेवराई के विधायक विजयसिंह पंडित, पूर्व राज्यमंत्री बदामराव पंडित और युवा नेता बालराजे पवार से तुरंत दखल देने और नागरिकों को राहत पहुँचाने की माँग की जा रही है।

नागरिकों का छला जाना

गेवराई तालुका के लोगों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसी ज़रूरी दस्तावेज़ों में जन्मतिथि की त्रुटियाँ सुधारने या पासपोर्ट पाने के लिए तहसील कार्यालय से विधिवत जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त किए। मगर, भाजपा नेता किरीट सोमय्या की शिकायत के बाद तहसीलदार संदीप खोमणे ने गहराई से जाँच किए बिना ही सीधे १७ नागरिकों पर अपराध दर्ज करा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सारे ११३४ आवेदन पुलिस को सौंप दिए।

पुलिस ने भी त्रुटियाँ सुधारने का अवसर दिए बिना ही आम नागरिकों को परेशान करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जिनका नाम शिकायत में नहीं है, उन्हें भी थाने बुलाकर जमानतनामा पर हस्ताक्षर लेने और पैसों की माँग करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं।

क्या पासपोर्ट मिलेंगे या नहीं?

जन्म प्रमाणपत्र पासपोर्ट पाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ है। मगर इस अवैध कार्रवाई की वजह से अब ११३४ नागरिकों के पासपोर्ट पर प्रश्नचिह्न लग गया है। जिन लोगों ने कानूनी मार्ग से जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त किए, अब उन्हें अपराधी घोषित किया जा रहा है। नागरिकों का सवाल है - जिम्मेदार कौन? तहसीलदार खोमणे, पुलिस या चुप्पी साधे बैठे स्थानीय नेता?

नेताओं की चुप्पी

गेवराई विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजयसिंह पंडित, पूर्व राज्यमंत्री बदामराव पंडित और युवा नेता बालराजे पवार ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। अपने ही मतदाताओं पर अन्याय होते समय ये नेता चुप क्यों हैं? जनता में यह सवाल उठ रहा है।

मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप

तहसीलदार खोमणे ने बिना समिति गठित किए और सबूतों की जाँच किए बिना ही अपराध दर्ज करने का आदेश दिया। यह पूरी तरह से अवैध और हुक्मशाही रवैया है। जन्म प्रमाणपत्र तो आधार, पैन या पासपोर्ट में त्रुटि सुधारने का कानूनी अधिकार है। फिर भी तहसीलदार व पुलिस ने इसे अपराध का रूप देकर नागरिकों को प्रताड़ित करना शुरू किया।

पुलिस पर भी लाचारी और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जिनका नाम शिकायत में नहीं है, उन्हें भी थाने बुलाकर पैसों की माँग की जा रही है। यह सीधा लूटपाट का कृत्य है।

ज़िला प्रशासन से माँग

जनता की ओर से ज़िलाधिकारी से माँग की गई है कि तुरंत जाँच समिति गठित कर कड़ी जाँच की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अन्यथा यह प्रशासनिक जुल्म आम नागरिकों की सहनशीलता की परीक्षा बन जाएगा।

नागरिकों के तीखे सवाल

क्या जन्म प्रमाणपत्र लेना अपराध है?

कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी नागरिकों को परेशान क्यों किया जा रहा है?

तहसीलदार और पुलिस को आम आदमी की परेशानियों का अंदाज़ क्यों नहीं?

स्थानीय नेता कब चुप्पी तोड़ेंगे और जनता को राहत दिलाएँगे?

एशियन हज उमरा टूर्ज़ में क़ाज़ी समीर का स्वागत

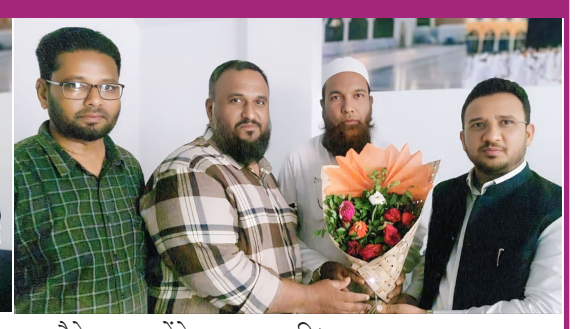

बीड़ प्रतिनिधि

महाराष्ट्र वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन क़ाज़ी समीर ने अपने छोटे भाई जावेद क़ाज़ी के साथ एशियन टूर्ज़ के बलभीम चौक, बीड़ स्थित कार्यालय का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बीड़ ऑफिस के जिम्मेदार मज़हर अली को बधाई दी और शुभकामनाएँ प्रकट कीं। साथ ही हज उमरा टूर्ज़ की ३१ वर्षों की सेवाओं पर प्रसन्नता व्यक्त की।

इस अवसर पर मज़हर अली, अब्दुलशाफ़े मोमिन, अतीक अलमास , ख़ान साहब आदि ने क़ाज़ी समीर का गर्मजोशी से स्वागत किया।

मुंबई को छोड़कर बाकी महाराष्ट्र में आज ईद-ए-मिलाद पर सार्वजनिक अवकाश

मुंबई और उपनगरों में ८ सितंबर को छुट्टी

विशेष संवाददाता । मुंबई

ईद-ए-मिलाद के अवसर पर राज्य में कल (शुक्रवार) सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। लेकिन मुंबई शहर और उपनगरों में ८ सितंबर को सरकारी छुट्टी रहेगी।

दरअसल, ६ सितंबर को अनंत चतुर्थी होने के कारण मुंबई के मुस्लिम समाज ने सोमवार को जुलूस निकालने का निर्णय लिया है। इसी वजह से राज्य सरकार ने मुंबई और उपनगरों में उसी दिन छुट्टी देने का फैसला किया है।

कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नसीम खान ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की थी। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी मुस्लिम समाज का ईद-ए-मिलाद और हिंदू समाज का अनंत चतुर्थी ये दोनों पर्व एक के बाद एक पड़ रहे हैं। ऐसे में राज्य में भाईचारे और हिंदू-मुस्लिम एकता बनी रहे और दोनों समाज खुशी के साथ अपने-अपने त्योहार मना सकें, इस उद्देश्य से मुस्लिम समाज ने ८ सितंबर को जुलूस निकालने का निर्णय लिया।

सरकार ने यह मांग मान ली और छुट्टी घोषित की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नसीम खान ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से राज्य में फुले-शाहू-आंबेडकर की परंपरा और सद्भावना कायम रहेगी। साथ ही उन्होंने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार भी जताया।

पूर्व जिला परिषद सदस्य शिंदे पर बलात्कार का मामला दर्ज; राजनीतिक हलकों में सनसनी

शादी का झांसा, विश्वासघात और धमकियों का आरोप

बीड प्रतिनिधि

जिले के राजनीतिक हलकों को हिलाकर रख देने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। नेकनूर के पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी नारायण शिंदे के खिलाफ एक सहशिक्षिका ने गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है।

पीड़िता की शिकायत के अनुसार, अप्रैल २००६ से दिसंबर २०२२ के बीच शादी का झांसा देकर बार-बार शारीरिक संबंध बनाए गए और उसके साथ विश्वासघात किया गया। इतना ही नहीं, फ्लैट और अन्य काम के लिए आर्थिक राशि भी ली गई तथा जान से मारने की धमकियाँ भी दी गईं।

इस गंभीर शिकायत के बाद बीड़ के शिवाजीनगर पुलिस थाने में धारा ३७६, ३७६(२)(छ), ४०६, ५०६ आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच पुलिस निरीक्षक किशोर पवार कर रहे हैं। नारायण शिंदे नेकनूर सर्कल के पूर्व जिला परिषद सदस्य तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं।

उन पर बलात्कार और धोखाधड़ी के मामले दर्ज होने से जिले के राजनीतिक हलकों में बड़ी खलबली मच गई है।

पुलिस द्वारा जानकारी देने से बचाव क्यों?

इस मामले में जानकारी लेने जब संवाददाता शिवाजीनगर पुलिस थाने पहुँचे तो पुलिस की ओर से जानकारी देने से बचा गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह टालमटोल क्यों की जा रही है? जनता की नजरों में यह मामला और गंभीर होता जा रहा है। जबकि मामला दर्ज हो चुका है, फिर भी पुलिस स्पष्ट जानकारी देने से क्यों कतरा रही है, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में इस प्रकरण की आगे की जांच और उससे निकलने वाले निष्कर्ष अहम साबित होंगे।

आज जिंतूर शहर में इदे मिलादुन्नबी के अवसर पर भव्य रक्तदान शिबिर

आयोजक युथ मूवमेंट ऑफ़ महाराष्ट्र शिखा जिंतूर

जिंतूर (एम एजाज जिंतूरकर) आज दि ५सप्टेबर २०२५ शुक्रवार इदे मिलादुन्नबी के अवसर पर भव्य रक्तदान शिबिर का आयोजन जमाअत ए इस्लामी हिंद जिंतूर की ओर से और युथ मूवमेंट ऑफ़ महाराष्ट्र शाखा जिंतूर के संयुक्त तौर पर हर वर्ष की तरहा इस वर्ष भी भव्य रक्तदान शिबिर रखा गया है! इस भव्य रक्तदान शिबिर में बढ़चढ़ कर हिस्सा ले और इस रक्तदान शिबिर को सफल बनाएं ऐसा आवाहन जयिअते ए इस्लामी हिंद के तालुकाध्यक्ष अहेमद सिद्दीकी सर ने और युथ मूवमेंट ऑफ़ महाराष्ट्र शाखा जिंतूर के कंन्विनर इंजिनियर अब्दुल आहद की ओर से किया गया है! ये रक्तदान शिबिर हज़रत टिपू सुल्तान चौक परिसर में विलासराव देशमुख उर्दू हाईस्कुल में रखा गया है! ये रक्तदान शिबिर सुबह दस बजे से चालू हो जाएगा! जिंतूर शहरवासियों ने जियादा से जियादा रक्तदाता वो ने रक्तदान कर इस रक्तदान शिबिर को कामयाब बनाये ऐसा आवाहन आयोजकों की ओर से किया गया है!

जिंतूर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गुट के शहराध्यक्ष पद पर मा नगर सेवक इस्माईल पहेलवान का चयन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गुट महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्षा माजी मंत्री तथा खासदार डॉ फोजिया खान के हाथों नियुक्ति पत्र दिया गया! और सत्कार किया गया! और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया!

आरक्षण के नाम पर मराठा और ओबीसी में झगड़े लगवाए : हर्षवर्धन सपकाळ का आरोप

जमीर काज़ी, मुंबई

राज्य में आरक्षण का प्रश्न गंभीर हो गया है और इस समय मराठा और ओबीसी समाज में आरक्षण को लेकर विवाद शुरू हो गया है। भाजपा गठबंधन सरकार की भूमिका के कारण दोनों समाज में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने आरोप लगाया कि भाजपा गठबंधन सरकार को आरक्षण के नाम पर समाज-समाज में झगड़े लगवाने हैं।

मराठा समाज को ओबीसी से आरक्षण देने की मांग को लेकर मुंबई में हुए आंदोलन के दौरान महायुती सरकार ने हैदराबाद गजट लागू करने का जीआर निकाला। इसका ओबीसी समाज ने विरोध किया और पूरे राज्य में इसका निषेध किया जा रहा है। सपकाळ ने कहा कि असल में देवेंद्र फडणवीस के शब्दों पर कितना भरोसा करना चाहिए यही सवाल है, क्योंकि उनकी कई घोषणाएं बाद में जुमलेबाज़ी साबित हुई हैं। अब जब मराठा समाज को ओबीसी से आरक्षण मिलने की चर्चा है, तब सरकार यह कह रही है कि ओबीसी समाज के आरक्षण को कोई धक्का नहीं लगेगा। अगर मराठा समाज को ओबीसी वर्ग से आरक्षण मिलेगा तो सरकार के इस दावे पर ही सवाल उठता है कि ओबीसी के आरक्षण को कोई धक्का नहीं लगेगा। दोनों में से एक सही हो सकता है, दोनों सही कैसे हो सकते हैं? सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार ने मराठा समाज की मांगें मान्य करने की घोषणा की है, जिसके चलते ओबीसी समाज सड़क पर उतर आया है। मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, यह कांग्रेस की स्थायी भूमिका है। आरक्षण देने के लिए जातिगत जनगणना ही रामबाण उपाय है। लेकिन भाजपा सरकार इस पर अनुकूल नहीं दिख रही। केवल जातिगत जनगणना की घोषणा करके फायदा नहीं होगा, उसकी कार्यान्विति करनी होगी तभी आरक्षण के प्रश्न पर स्थायी समाधान निकल सकता है। सपकाळ ने सवाल उठाया कि अगर सरकार हैदराबाद गजट लागू करने जा रही है, तो फिर तेलंगाना सरकार की तरह जातिगत जनगणना करके अपने राज्य के ओबीसी समाज को ४२ प्रतिशत आरक्षण दिया, तो क्या देवेंद्र फडणवीस तेलंगाना सरकार का वह आदर्श अपनाएंगे?

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com